शिक्षा विभाग, बिहार
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक..........................

संचिका संख्या–8/आ० 5–91/2010 ..../निगरानी विभाग, (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 15.12.2010 को श्री तुलसी प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ, वैशाली, सम्प्रति निलंबित को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 086/2010 दिनांक 15.12.2010 दर्ज की गयी।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा समानांतर रुप से आदेश ज्ञापांक 30 दिनांक 06.01.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत श्री प्रसाद को हिरासत में लिये जाने की तिथि 15.12.2010 से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया तथा आदेश ज्ञापांक 122 दिनांक 01.02.2011 द्वारा उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 142 दिनांक 02.02.2011 द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक, वैशाली को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 78 दिनांक 16.03.2012 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा रिश्वत लिये जाने संबंधी आरोप को प्रमाणित पाया गया। फलतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (02) एवं (03) के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 342 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन संलग्न कर लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी।

श्री प्रसाद के विरुद्ध अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा भी रिश्वत लिये जाने से संबंधित आरोप को प्रमाणित पाया गया है। श्री प्रसाद द्वारा रिश्वत लिये जाने का कृत्य उनके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा और सरकारी सेवक से अपेक्षित आचार की प्रतिकूल कार्य को प्रमाणित करता है। श्री प्रसाद के द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 03 (01) I, II एवं III का स्पष्ट रुप से उल्लंघन किया गया है।

E:\NEHA SINHA\Office Order.doc

निदेशालय के पत्रांक 342 दिनांक 03.03.2014 के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया, जिसे अस्वीकृत करते हुए श्री तुलसी प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ, वैशाली, सम्प्रति निलंबित को "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग (V) के नियम 14 (XI) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।

ह०/–
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली एवं श्री तुलसी प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ, वैशाली, सम्प्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 505 पटना, दिनांक 4/4/14

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

E:\NEHA SINHA\Office Order.doc